रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936
No. 148] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2014

सं. टीएएमपी/8/2009–आईएसएचपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, इंटरनेशनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/8/2009–आईएसएचपीएल

कोरम:

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2014 के 4थें दिन पारित)

यह मामला इंटरनेशनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईसीएचपीएल) के मौजूदा दरमान (एसओआर) की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. आईएसएचपीएल का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2011, जिसे 6 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने आईएसएचपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता पिछली बार अपने आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2014 द्वारा 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की थी।

3. आईएसएचपीएल द्वारा दरमान के संशोधन के लिए अपने पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 2012 द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर संबद्ध पत्तन उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार–विमर्श के लिए लिया गया था। इस मामले पर संयुक्त सुनवाई 07 अगस्त, 2013 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, हमारे पत्र दिनांक 30 मई 2013 द्वारा आईएसएचपीएल से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण इसके पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2013 द्वारा इसके संशोधित प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुआ था। संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति के अनुसार संशोधित प्रस्ताव आईएसएचपीएल द्वारा केओपीटी तथा उपयोक्ताओं को परिचालित किया गया था। केओपीटी तथा कुछ उपयोक्ताओं की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है। इसके अलावा, आईएसएचपीएल से हमारे पत्र दिनांक 09 जनवरी, 2014 द्वारा इसके संशोधित प्रस्ताव से निकले कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया

गया है। इस संबंध में आईएसएचपीएल का प्रत्युत्तर अभी प्राप्त होना है। यह प्राधिकरण केओपीटी एवं आईएसएचपीएल से अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू कर चुका है।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और यह स्वीकार करते हुए कि जब आईएसएचपीएल, केओपीटी तथा उपयोक्ताओं द्वारा सूचना/स्पष्टीकरण भेजे जाएंगे तो उसकी जांच करने में समय लगेगा और इस मामले में इस प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने में समय लगेगा।

5. चूंकि मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो चुकी है और अंतिम रूप से विचार करने के लिए इस मामले हेतु अपेक्षित समय पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2014

No. TAMP/8/2009-ISHPL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the International Seaports (Haldia) Private Limited as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/8/2009-ISHPL

QUORUM

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of April, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of International Seaports (Haldia) Private Limited (ISHPL).

2. The existing SOR of ISHPL was last approved by this Authority *vide* Order dated 19 January, 2011 which was notified in the Gazette of India on 6 April, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of ISHPL on couple of occasions. The validity of the existing SOR of ISHPL was last extended till 31 March, 2014 *vide* its Order dated 10 January, 2014.

3. The proposal filed by the ISHPL *vide* its letter dated 9 November, 2012 for revision of SOR was taken on consultation with the concerned port users/user organisations. Joint hearing in this case was held on 7 August, 2013. As agreed at the joint hearing, the additional information/clarifications sought from ISHPL *vide* our letter dated 30 May, 2013 was received *vide* its letter dated 11 November, 2013 along with its revised proposal. The revised proposal was circulated by ISHPL to the KOPT and users as agreed at the joint hearing. The comments of the KOPT and some of the users are still awaited. Further, the ISHPL, *vide* our letter dated 09 January, 2014 has been requested to furnish the additional information/clarifications on a few points arising out of its revised proposal. The response of ISHPL in this regard is also yet to be received. This Authority has initiated steps to get the requisite details from KOPT and ISHPL as well.

4. In view of the above position and recognizing the time required to examine the information/clarifications when furnished by ISHPL, KOPT and users, it will take time for the case to mature for final consideration of this Authority.

5. Since the extended validity of the existing SOR expired on 31 March, 2014 and considering the time required for this case to mature for final consideration, this Authority extends the validity of the existing SOR of the ISHPL till from the date of its expiry till 30 June, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.